

No. of Printed Pages : 4

MSW-032

**CERTIFICATE IN SOCIAL WORK AND
CRIMINAL JUSTICE SYSTEM
(CSWCJS)**

Term-End Examination

June, 2020

**MSW-032 : SOCIAL WORK AND
CRIMINAL JUSTICE**

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 100

Note : (i) Answer any five of the following questions in about 300 words each.

(ii) All questions carry equal marks.

-
-
1. Define deviance and crime. Enlist the essential elements of crime. 20
 2. Explain the safeguards against arbitrary arrests and detention. 20
 3. Discuss the positive and ecological school of criminology. 20
 4. Highlight the role of police as an agency of criminal justice system. 20

P. T. O.

5. Describe the importance of defense and defense counsel in the criminal justice system. 20
6. What do you understand by adjudication process ? Enlist the various types of Courts in India. 20
7. Discuss cognizable and non-cognizable offences. Highlight the process of the police to investigate these offenses. 20
8. Explain the legislative mandates of prisoner's rights. What are the provisions for physical or bodily needs according to Prisons Act, 1894 ? 20

समाज कार्य एवं दण्ड न्याय प्रणाली में प्रमाणपत्र

(सी. एस. डब्ल्यू. सी. जे. एस.)

सत्रांत परीक्षा

जून, 2020

MSW-032 : समाज कार्य एवं दण्ड न्याय

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

नोट : (i) निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर

(प्रत्येक) 300 शब्दों में दीजिए।

(ii) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. विचलन और अपराध को परिभाषित कीजिए। अपराध के मुख्य तत्वों की सूची बनाइए। 20
2. मनमानी गिरफ्तारी और नज़रबन्दी के खिलाफ सुरक्षा उपायों की व्याख्या कीजिए। 20

3. अपराध विज्ञान के सकारात्मक और पारिस्थितिक स्कूल की भूमिका पर चर्चा कीजिए। 20
4. दण्ड न्याय प्रणाली की एक एजेन्सी के रूप में पुलिस की भूमिका पर प्रकाश डालिए। 20
5. दण्ड न्याय प्रणाली में बचाव और बचाव पक्ष के वकील के महत्व का वर्णन कीजिए। 20
6. अधिनियम प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? भारत में विभिन्न प्रकार की अदालतों की सूची बनाइए। 20
7. संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों पर चर्चा कीजिए। इन अपराधों की जाँच के लिए पुलिस प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए।
8. कैदी के अधिकारों के वैधानिक जनादेश की व्याख्या कीजिए। जेल अधिनियम, 1894 के अनुसार भौतिक या शारीरिक जरूरतों के लिए क्या प्रावधान हैं? 20